बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता यथा (1) अवर प्रमंडलीय भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने, (2) अवर प्रमंडलीय लेखा के विधिवत संधारण नहीं किये जाने, (3) मासिक लेखा प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू० 5,38,81,590/–मूल्य के अलकतरे की आपूर्ति संबंधी महालेखाकार के डेबिट ज्ञापों को लेखांकित नहीं किये जाने व उक्त राशि का वित्तीय अनियमितता किये जाने, (4) 976.334 मिट्रीक टन अलकतरा का स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय दिखाकर रू० 53,69,837/–की सरकारी राशि का गबन किये जाने, (5) अर्द्धवार्षिक लेखा प्रमंडलीय पदाधिकारी के समक्ष ससमय प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं (6) अपने अधीनस्थ अनुभागीय पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण नहीं किये जाने के आरोप में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–5855 दिनांक 28.05.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री चौधरी के विरूद्ध पथ निर्माण के स्तर से संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान उनका संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य नहीं होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध नये सिरे से उक्त आरोपों पर बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 326 दिनांक 22.01.2014 द्वारा मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री चौधरी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना सं0–2338 दिनांक 18.09.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. मुख्य अभियंता–4–सह–संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक 509 अनु0 दिनांक 23.03.2015 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त चौथे आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी तथा शेष आरोपों के संदर्भ में दिये गये मंतव्य से असहमत होते हुए श्री चौधरी से असहमति के बिन्दु पर बचाव बयान प्राप्त कर समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंशन से अगले पॉच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक आयोग की सहमति के उपरान्त श्री

चौधरी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2353 दिनांक 19.08.2019 द्वारा उक्त शास्ति अधिरोपित एवं संसुचित की गयी।

4. श्री चौधरी के पत्रांक 1 कैम्प, पटना दिनांक 22.10.2019 द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–382 दिनांक 21.01.2020 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

5. श्री चौधरी द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (CWJC No-4376/2020 श्री रजनी कान्त चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर की गयी। माननीय .पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में निम्न Observation/ Direction के साथ दिनांक 10.02.2025 को अंतिम न्यायादेश पारित किया गयाः–

.....10. From the aforenoted legal position, it is axiomatic that Rule 43(a) of Rules, 1950 does not attract with respect to an event, which took place in the service period of a Government servant rendered before his retirement, leading to institution of departmental or judicial proceeding.

11. This Court also finds that the disciplinary authority while differing with the finding of the enquiry officer has not assigned any tentative reason for disagreement and only formality has been done on his part by expressing a comment therein that since the petitioner has been posted there even for 2 ½ months, he should take initiatives to keep the record up-to-date, that cannot be treated as a difference of opinion, nonetheless, it was not even the charge. Further, there is no discussion and deliberation to the explanation submitted by the petitioner. Similar mistake has also been committed by the reviewing authority.

12. In view of the settled legal position and the discussions made hereinabove, the impugned order, as contained in Memo No. 2353 dated 19.08.2019 as well as notification as contained in Memo No. 382 dated 21.01.2020 are hereby set aside.

13. On account of setting aside the impugned orders, the respondent authorities are hereby directed to restore all the financial benefits preferably within a period of 12 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

14. The writ petition stands allowed.

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश दिनांक 10.02.2025 के विरूद्ध LPA का आधार बनता है अथवा नहीं, इस बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा निम्न परामर्श दिया गयाः–

"I do not find any legal infirmity committed by the writ court to advise to file LPA. The order of the writ court be complied forthwith."

7. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश दिनांक 10.02.2025 का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अधिसूचना ज्ञापांक–2353 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अधिरोपित शास्ति " पेंशन से अगले पॉच वर्षो तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती" को तथा श्री चौधरी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक–382 दिनांक 21.01.2020 को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kumar
17/4/25

(संजय कुमार)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–405/2013 4341 /पटना, दिनांकः– 21.4.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

Kumar
17/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–405/2013 4341 /पटना, दिनांक :– 21.4.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
17/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—405/2013 4341 /पटना/दिनांकः— 21.4.25

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लधु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग /संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या—1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर, पत्राचार का पता—फ्लैट सं0—208, शिवानील अपार्टमेंट, कस्तुरबा पथ, नौर्थ एस0के0पुरी, पटना, पिनकोड—800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar
17/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—405/2013 4341 /पटना, दिनांक :— 21.4.25

प्रतिलिपि :— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त राचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

SKumar
17/4/25
अवर सचिव